E-Mail

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/F-126/2017/ दिनांकः—

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राजस्थान,
राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय :— ऑनलाईन जमाबन्दी के पश्चात राजस्व कार्यो में आ रही रूकावटों के निराकरण क संबंध में।

प्रसंग :— एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018 मण्डल को प्रेषित कर निवेदन किया है कि तहसील रामगंज मण्डी ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन तहसील में नामान्तकरण प्रकिया अत्यन्त धीमी है साथ ही ऑनलाइन प्रकिया में कई प्रकार की समस्या आ रही है। इस संबंध में निम्न समस्याए अवगत कराई है :—

क0सं0	आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्या	निर्देश/ अपेक्षित कार्यवाही
1	ऑनलाइन नामान्तरकण प्रकिया में यदि एक खाते में एक साथ दो या अधिक नामान्तरकण दर्ज करने सम्भव नही है। यदि एक ही खाते में दो या अधिक सहखातेदारों की मृत्यु हो गई या एक से अधिक सहखातेदारों को बैंक से ऋण लेना हो अथवा एक ही खाते से दो या अधिक व्यक्तियों ने भूमि कया करके विकय पत्र अलग—अलग पंजीबद्ध करवाए हो तो नामान्तरकरण प्रकिया पूर्ण हाने में महीनों लग जाते है। (इस संबंध में कोटा जिले की रामगंज मण्डी के ग्राम सातलखेडी के खाता सख्या 83 का उदाहरण प्रस्तुत किया है)	एक ही खसरा नम्बर पर एक समय में एक से अधिक नामान्तरकण की कार्यवाही की जानी है तो नियमानुसार एक नामान्तरकण फैसल होने के पश्चात ही दूसरा नामान्तरकण दर्ज किया जाना उचित है। अतः वर्तमान में सॉफ्टवेयर में यही प्रावधान है। किन्तु इसके साथ ही अन्य नामान्तरकण प्रकियाधीन होने का नोट प्रदर्शित होना चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर में नही दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही खाते के अन्य खसरों मे नामान्तरकण की कार्यवाही की जा सके इस प्रकार का प्रावधान सॉफ्टवेयर में किया जाना सुनिश्चित करावें।
2	नामान्तरकरण लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक होना। — निर्णीत नामान्तरकरण को लॉक करते समय कम्प्यूटर प्रोग्राम बैक हो जाने से आज तक नामान्तरकरण सं. 907 लॉक नहीं हो पाया है एवं विक्रेता का ही नाम खाते में दर्ज चला आ रहा है। रिसोर्स पर्सन द्वारा उक्त नामान्तरकरण को लॉक करने का कई बार प्रयास किया गया किन्तु स्थिति जस की तस ही रही। इसके संबंध में रिसोर्स पर्सन द्वारा सक्षम अधिकारियों को ई—मेल भी किये जा चुके है, किन्तु आज तक समस्या का हल नहीं निकला।	यह समस्या सॉफ्टवेयर से संबंधित है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।

भवदीय

हo/-

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः सम/1083-85 दिनांक 11-06-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. आयुक्त, भू—प्रबन्ध विभाग एवं नोड़ल अधिकारी **DILRMP**, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, कोटा को प्रासंगिक कम में सूचनार्थ।
3. एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा

प्रभारी अधिकारी **DILRMP**,
राजस्व मण्डल राजस्थान.

485/DILRMP

E-Mail

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ दिनांकः–

जिला कलक्टर,
कोटा

विषय :– ऑनलाईन जमाबन्दो के पश्चात राजस्व कार्यो में आ रही रूकावटों के निराकरण क संबंध में।

प्रसंग :– एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा, द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018 मण्डल को प्रेषित कर निवेदन किया है कि तहसील रामगंज मण्डी ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन तहसील में नामान्तकरण प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया में कई प्रकार की समस्या आ रही है। इस संबंध में निम्न समस्याए अवगत कराई है :–

<table>
<tr><th>क.सं.</th><th>आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्या</th><th>निर्देश/ अपेक्षित कार्यवाही</th></tr>
<tr><td>1</td><td>न्यायालय के निर्णय की पालना में दो खातों में भूमि की अदला बदली के नामान्तरकरण के लॉक होने के पश्चात् सॉफ्टवेयर द्वारा दोहरी प्रविष्टि करने के संबंध में – न्यायालय श्रीमान उपखंड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा प्रकरण सं. 1733/2015 (ओंकारलाल बनाम सरकार) अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट. में निर्णय दिया गया कि "ग्राम चेचट का खसरा नंबर 468 क्षेत्रफल 1–04 हेक्टेयर को बाला खटीक के खाते से हटाकर प्रार्थी ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल मीना के खाते दर्ज किया जावे तथा ओंकारलाल मीना के खाते के खसरा नंबर 467 क्षेत्रफल 2–32 हेक्टेयर में से 1–04 हेक्टेयर भूमि को बाला पुत्र ओंकारलाल खटीक के खाते दर्ज किया जावे।" निर्णय की पालना में खसरा नंबर 468/1–04 हेक्टेयर का नामान्तरकरण सं. 1457 ओंकारलाल मीना के पक्ष में दर्ज किया गया तथा खसरा नंबर 467 में से 1–04 हेक्टेयर का नामान्तरकरण सं. 1458 बाला पुत्र ओंकार खटीक के पक्ष में दर्ज किया गया । दिनांक 30.11.17 को दोनों नामान्तरकरण निर्णित हुए किन्तु नामांतरकरणों को लोक करने के पश्चात् नवीन अंकन तो दोनों पक्षकारों के खाते में दर्ज हो गया लेकिन उक्त दोनों खसरो की पुरानी प्रविष्टि भी जमाबंदी के खातों मे यथावत रही इससे ओंकारलाल मीना के खाते में 2–32 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा बाला जी खटीक के खाते में 1.04 हेक्टे क्षेत्रफल अधिक हो गया जो आज तक शुद्ध नहीं हो सके है। इस संबंध में सॉफ्टवेयर में सुधार करवाया जाना अति आवश्यक है।</td><td>उक्त प्रकरण में प्रस्तुत उदाहरण एवं संलग्न दस्तावेजों एवं अपनाखाता वेबसाइट से संबंधित खाते की वर्तमान स्थिति (परिशिष्ट–2) के आधार पर परीक्षण करने पर पाया गया कि :–
<table>
<tr><td colspan="3">संलग्न जमाबन्दी के अनुसार संवत 2074–77 बाला पुत्र ओंकार</td><td colspan="3">अपनाखाता वेबसाइट से संबंधित खाते की वर्तमान स्थिति 2074–77 ओंकारलाल पुत्र शंकरलाल मीना</td></tr>
<tr><td>खाता नं0</td><td>खसरा नं.</td><td>रकबा</td><td>खाता नं0</td><td>खसरा नं.</td><td>रकबा</td></tr>
<tr><td>60</td><td>468</td><td>1.04</td><td>441</td><td>468</td><td>1.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">हटाया जा कर खाता न0441 में स्थानान्तरित किया जाना है।</td><td colspan="3">खसरा स्थानान्तरति हो चुका है।</td></tr>
<tr><td>60</td><td>467</td><td>2.32</td><td>60</td><td>467</td><td>2.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">रकबा 1.04 हटाया जाना है तथा ख0न0 441 में स्थानान्तरित किया जाना है।</td><td colspan="3">ख0न0 467 में से रकबा स्थानान्तरित नही किया गया है</td></tr>
</table>
उपरोक्त दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया गया कि इस प्रकरण में सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई समस्या प्रतीत नहीं होती है। क्यों कि सॉफ्टवेयर में खसरा विभाजन, खसरा परिवर्तन, खाते में किसी प्रकार का परिवर्तन इत्यादि सभी प्रकार का प्रावधान किया हुआ है। यदि न्यायालय आदेश से एक खसरे का आशिंक हिस्सा किसी अन्य खाते में स्थानान्तरित किया जाना है तो नियमानुसार राजस्व कार्मिकों के सतर से ही कार्यवाही की जानी थी जो कि सही प्रकार से नही की गई हैं जिससे ग्राम के कुल रकबे में वृद्धि हो रही है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स/ भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि रिव्यू अवधि शेष है तो सक्षम स्तर से नामान्तरकरण रिव्यू किया जा कर वांछित संशोधन करने चाहिए। यदि रिव्यू अवधि समाप्त हो गई है तो संबंधित तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एल0आर0एक्ट की धारा 136 में प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करवाया जा कर आवश्यक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।</td></tr>
</table>

आवेदक द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर मण्डल को अवगत करावें।

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः सम/1087-89 दिनांक 11-06-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग एवं नोड्ल अधिकारी **DILRMP**, राजस्थान, जयपुर।
2. तहसीलदार, रामगंज मण्डी, जिला– कोटा।
3. एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुढायला इडस्ट्रीयल एरिया, रामगंज मण्डी जिला कोटा।

प्रभारी अधिकारी **DILRMP**